

प्रशासन गांधी सेवन अभियान, 2023

2023/273

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर

दिनांक 2/5/2023

क्रमांक/राजस्व/2023/116

:- रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

राजस्व (पुप-8) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 3 (2) राज-6/2003 / पार्ट जयपुर, दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के अन्तर्गत ग्राम रामपुर जागीर पटवार मण्डल रामपुर जागीर भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त रामपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर की भूमि खसरा नम्बर 928 930 931 932 में स्थित रास्ते का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा 933 934 935 936 937 938 सलग्न निर्णयानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शिविर प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी- श्रीमाधोपुर
पंचायत समिति- श्रीमाधोपुर

दिनांक: 2/5/2023

क्रमांक/सम/

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त रामपुर जागीर।
3. पटवारी हल्का रामपुर जागीर।

उपखण्ड अधिकारी
प्रशासन गांधी सेवन अभियान-2023
उपखण्ड अधिकारी- श्रीमाधोपुर
पंचायत समिति- श्रीमाधोपुर

